

107 द. प्र. स. दुर्गा पुजा / मुद्दा नं. - 2017

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

न्यायाधीश
श्री

श्रीधर कुमार की

आदेश पत्रक

M-98/2017

11/10/17

अभिलेख संख्या :- एम. 98 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

339

11/10/17

थाना प्रभारी मुद्दा के अप्राथमिकी संख्या :- 6/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होनी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं, अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर स.प्र.स. की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 24/10/17 को उपस्थापित करें।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

12/18

दुर्गा पूजा / मुहूरत 2017 बांझि पूर्ण हंग से सम्पन्न हुआ । दिनांक- 10/2/18 के राष्ट्रिय लोक अवलत मे इस वाद की कारकायी को समाप्त की जाती है ।

M. Das
10/2/18

03
10/02/2018
Delhi

[Signature]
10/2/18

